

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

शुद्धि पत्र


विभागीय राज्यादेश संख्या-2734, दिनांक-22.08.2017 की कंडिका-5 (ix) का बुलेट-3 कंडिका-5 (xi) एवं कंडिका-5 (xiii) में उल्लेखित "तीन माह" के स्थान पर "एक माह" पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेंगे।

2. इसके अलावे एक कंडिका-5 (xix) जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाय "एक माह के पूर्व calf की मृत्यु अन्य निम्न कारणों से होने पर किसान के वक्तव्य के आधार पर एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा:-

- (i) प्राकृतिक आपदा जैसे-भुकम्प, बाढ़, महामारी, अंधड़-तुफान में मृत्यु।
- (ii) किसान के उपेक्षा के कारण मृत्यु।
- (iii) किसान द्वारा बछड़ों को बेच दिये जाने के कारण।

3. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

4. प्रस्ताव एक प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।



(मधुसूदन ठाकुर)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)11/2017- 3838

/पटना-15, दिनांक-30/11/2017.


प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)11/2017- 3838

/पटना-15, दिनांक-30/11/2017.


प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)11/2017- 3838

/पटना-15, दिनांक-30/11/2017.

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)11/2017- 3838 /पटना-15, दिनांक- 30/11/2017.

प्रतिलिपि:- निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/ परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० पटना/विशेष उपनिदेशक (प०वि०) फ़ोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)11/2017- 3838 /पटना-15, दिनांक- 30/11/2017.

प्रतिलिपि:- पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव


ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)11/2017- 3838 /पटना-15, दिनांक- 30/11/2017.

प्रतिलिपि:- विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/ विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक अतिरिक्त 05 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-6 एस०एस०(6)11/2017- 3838 /पटना-15, दिनांक- 30/11/2017.

प्रतिलिपि:- सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव